( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 02 / 2022
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022 / 17

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

श्री दीपक गुर्जर पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी शिवाजी कॉलोनी, मारवाड़ा बस्ती, जिला बारॉं (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स श्री देव कृष्णा दूध डेयरी, गुरूद्वारे के पास, जिला बारां
(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री महेश कुमार शर्मा खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री हरिनारायण सिंह अभिभाषक (अप्रार्थी)

## निर्णय दिनांक 18.05.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.07.2021 को मैसर्स श्री देव कृष्णा दूध डेयरी, गुरूद्वारे के पास, जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दीपक गुर्जर पुत्र रामलाल गुर्जर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.07.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 1041 दिनांक 31.12.2020 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **दही(खुला)01 किग्रा.** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **दही(खुला)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2022.07.08 10:55:21 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा खाद्य पदार्थ **दही(खुला) 01 किग्रा.** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री दीपक गुर्जर पुत्र रामलाल गुर्जर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 60 / – रूपये (अक्षरे साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दही(खुला) 01 कि.ग्रा.** को खोलकर साफ–सूखे व खाली स्टील की ट्रे में तुलवाकर एक समरूप कर चार नमूना भागों में अलग–अलग कर काँच की साफ–सूखी, स्वच्छ शीशीयों में बराबर भरकर, परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1191 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1191 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दीपक गुर्जर पुत्र रामलाल गुर्जर(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/236 दिनांक 13.08.2021 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 230/PHL/Act/kota/2021/297 दिनांक 11.08.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दही(खुला) 01 कि.ग्रा.** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 03.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2022.07.08 10:55:21 IST
Reason: SelfAttested

**राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा **दही(खुला) 01 कि.ग्रा.** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, यह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के विक्रय उप धारा 2(v) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा** दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्ध होने से स्वीकार्य नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है। प्रस्तुत परिवाद में प्रत्येक मद में फोटो प्रतियां न्याय निर्णयन के साथ दस्तावेज संलग्न करना बताया है जबकि कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। उक्त कार्यवाही फर्जी तरीके से तैयार की गई है। अप्रार्थी को न तो सुना गया बल्कि कार्यालय में बैठकर हीं दहीं को सबस्टैण्डर्ड मानकर मनमर्जी की है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी द्वारा कभी अवमानक वस्तु अपनी दुकान में रखी हीं नहीं गई और न हीं उसका विक्रय किया गया है। किसी भी उपभोक्ता द्वारा अप्रार्थी द्वारा विक्रय किए जाने वाले उत्पाद की कोई शिकायत नहीं की गई है। खाद्य निरीक्षक द्वारा आर्थिक लिप्सा में यह संपूर्ण कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी के उत्पादों का केन्द्रीय प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु खाद्य निरीक्षक द्वारा न तो अवसर दिया गया और न हीं इस हेतु कोई नोटिस दिया गया। संपूर्ण कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित है। परिवाद में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी बिना रजिस्ट्रेशन अनुज्ञा पत्र के व्यवसाय कर रहा है जबकि अप्रार्थी द्वारा अपना व्यवसाय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार के यहां करवाया हुआ है जिसका अनुमति संख्या 12221012000093 है जिसकी वैधता 30.04.2021 से 29.04.2026 तक प्रभावी है। उक्त अनुज्ञा पत्र के तहत अप्रार्थी अपना व्यवसाय पूर्ण ईमानदारी से करता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को प्रेषित उक्त परिवाद निरस्त फरमाने की कृपा करें।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 230/PHL/Act/kota/2021/297 दिनांक 11.08.2021 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

**प्रकरण में उभयपक्ष की** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **दही(खुला)** जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 230/PHL/Act/kota/2021/297 दि. 11.08.2021 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के विक्रय उप धारा 2(v) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं धारा 58 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 5,000/— रूपये (अक्षरे पॉँच हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2022.07.08 10:55:21 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)